>

Title: Need to include the left-out sub-castes of fishermen community in the list of Scheduled Castes in Uttar Pradesh .

श्री शंखलाल माझी (अकबरपुर): सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में मछुआ समुदाय की उपजातियां-मल्लाह, केवट, निषाद, बाथम, तियर/तियार, चाई, खैराहा, तुरहा/तुरैहा, बिन्द, धीवर/धीमर, रायकवार, कहार/कश्यप, माझी/गोडिया (पुकारू नाम) सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से अत्यन्त पिछड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में मछुआ समुदाय की उपजातियों (गोड़, खरवार, मझवार एवं तुरेहा को राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किया गया है, किन्तु शेष उपजातियां वंचित रह गई हैं, जबकि इनका आपस में एक-दूसरे से वैवाहिक संबंध, खान-पान, रहन-सहन, रीति-रिवाज आदि एक जैसी ही हैं।

महोदय, मछुआ समुदाय की उपरोक्त वंचित उपजातियों की मांग पर पूर्ववर्ती उ.प्र. सरकार ने 19 फरवरी, 2004 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में निर्णय कर के, उपरोक्त वंचित उपजातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किए जाने की संस्तुति पर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के पत्रांक 12016/25/200-एससीडी (आरएलसेल) यू.पी. दिनांक 8 अप्रैल, 2004 द्वारा इन जातियों के इथनोग्राफिकल बृहद सर्वे/अध्ययन रिपोर्ट व अनुसूचित जाति में सम्मिलित किए जाने का विस्तृत औचित्य आख्या की अपेक्षा किए जाने पर, प्रदेश सरकार के निर्देश पर, निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ द्वारा प्रदेश के तमाम जनपदों में मछुआ समुदाय की उपरोक्त वंचित उपजातियों का इथनोग्राफिकल सर्वे/अध्ययन कराया गया।[R23]

अपने सर्वे अध्ययन में एस.सी. एस.टी. कमीशन ने मछुआ समुदाय की इन उपरोक्त वंचित जातियों में परम्परागत रूप से अस्पृश्यता आज भी पाई है। इसकी व्याख्या करते हुए और यह दर्शाते हुए कि इनका आपसी शादी-ब्याह का प्रचलन है, रहन-सहन एक जैसा है, व्यवसाय, रीति-रिवाज...व शादी-ब्याह का आपसी संबंध है । (व्यवधान) यह प्रदेश के करोड़ों वंचित लोगों का मामला है। आप मुझे दो मिनट का समय दीजिए।

सभापति महोदय : ठीक है। आप एक मामला उठा सकते हैं।

श्री शंखलाल माझी : इनकी इथनोग्राफिकल रिपोर्ट में शोध संस्थान ने लिखा है कि इनकी आपसी शादी-ब्याह की जो व्यवस्था है, वह गोड, बेलदार, मझवार, खरवार, तुरेहा के समान है, जिनको अनुसूचित जाति का दर्जा मिला है। यह दर्शाते हुए इनको अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने का औचित्य बनता है, ऐसा लिखा था। उसके आधार पर प्रदेश सरकार ने समाज कल्याण अनुभाग 3 के पत्रांक 3895/ 26.3.2003-3 (37/90) दिनांक 31 दिसम्बर, 2004, दूसरा पत्र 971/ 26.3.2006-3 (87)90 टी सी दिनांक 16 मई, 2006 और तीसरा पत्र 292 सी एम (1) 26.3.2006-3 (37)90 टी सी दिनांक 6.11.2006 और अन्त में पत्रांक 292 सी एम (1) 26.3.2006-3 (37)90 टी सी दिनांक 12 जनवरी, 2007 द्वारा एस.सी. एस.टी. शोध प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा किये गये औचित्यपूर्ण संस्तुति सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार को भेजा गया । ... (व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी डिमांड क्या है, वह बताइये।

श्री शंखलाल माझी : मैं अन्तिम बात पर आ गया हूं कि इसकी औचित्यपूर्ण संस्तुति सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय, दिल्ली को भेजी गई। एस.सी. एस.टी. शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान ऐसा संस्थान है, जो अनुसूचित जाति के लोगों का सर्वे करता है और यह निर्धारित करता है कि इन जातियों को आरक्षण दिए जाने का औचित्य बनता है या नहीं । उसने यह माना है और भारत सरकार को संस्तुति की है कि इन जातियों को अनुसूचित जाति में जोड़ा जाना चाहिए।

इसी सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं। हिन्दुस्तान का संविधान एक है और हिन्दुस्तान के संविधान में आरक्षण का जो मानक दिया गया है, वह यह है कि आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो विपन्न हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आरक्षण की सुविधा दी जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से विपन्न देश की वे जातियां है । आज पूरे हिन्दुस्तान में दलित समाज का भी कोई बस्ती शायद ऐसी नहीं होगी, जिनमें कोई पक्का मकान न हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में बसने वाली इन मछुआरों की एक नहीं, हजारों ऐसी बस्तियां हैं, जहां पर एक भी पक्का मकान आज भी, आजादी के 60 साल के बाद भी नहीं है। आर्थिक रूप से विपन्न होने का इससे बड़ा कोई सबूत नहीं है। शैक्षणिक रूप से करोड़ों की संख्या में बसने वाली इन जातियों के लोगों का आज भी पूरे प्रदेश में एक भी आई.ए.एस. आई.पी.एस. अधिकारी नहीं हैं और सरकारी नौकरियों में 0.01 परसेंट इनकी संख्या है। शैक्षणिक रूप से विपन्न होने की इससे ज्यादा कोई बानगी नहीं हो सकती है और सामाजिक रूप से यह वह समाज है, जिसके बारे में आज नहीं, हजारों साल पहले गोस्वामी जी ने अपने मानस में लिखा है कि लोक वेद सब भातहिं, नीचा, जासू छांई छुई लेऊ सींचा ।। अर्थात इतनी नीच अस्पृश्य जातियां हैं मछुआरे।

इसी सम्बन्ध में दिनांक नौ सितम्बर को और 16 दिसम्बर को दर्जनों सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री से मिलकर इस बात को रखा है और उनसे मांग की है कि इन जातियों को अनुसूचित जाति में रखने की विशिष्टता, योग्यता और अर्हता ये रखते हैं, जिसे प्रदेश सरकार की रिकमेण्डेशन भी है, इसलिए हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश के मछुआ समुदाय की इन वंचित उप-जातियों को जोड़ने के लिए भारत सरकार को आप निर्देशित करने की कृपा करें।

यहां तमाम उपस्थित हमारे सांसद साथियों से, आप सब का संरक्षण चाहते हुए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश के मछुआरा समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाया जाये।

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, I have names of six more speakers who have given late notices and are allowed by the hon. Deputy-Speaker as a special case because this is the last day of the Session of this Lok Sabha, so, I am allowing them.